न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसौटिया, (आर.ए.एस.)

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः— 03/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अचलाराम पुत्र श्री पेमारामजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम फिंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01.थानाअधिकारी पुलिस थाना लूणी । 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी 03.ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम पुत्र श्री पेमारामजी। 04.सत्यनारायण पुत्र श्री पेमारामजी। जातियान ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम फिंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 145, 146 सीआरपीसी

अधिवक्तागणः —

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित ।
2. अप्रार्थी संख्या तीन व चार की और से अधिवक्ता श्री लादुरामजी पुनिया ।
3. अप्रार्थी संख्या एक व दो की और से राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :— 18/09/2023

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में ग्राम फिंच, तहसील तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 643 रकबा 6.9687 हैक्टेयर, खसरा संख्या 665/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 733/1 रकबा 1.5459 हैक्टेयर, खसरा संख्या 735/1 रकबा 0.8013 हैक्टेयर एवं ग्राम हनुमाननगर, पटवार हल्का फिंच तहसील लूणी के खसरा संख्या 578/1 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 581/1 रकबा 3.1404 हैक्टेयर कृषि भूमियों के संबंध में वास्ते बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद माननीय न्यायालय में अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार के विरूद्ध पेश किया हैं जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं जो कि बअनवान अचलाराम बनाम ओमप्रकाश वगैरा हैं । उक्त वाद के संलग्न एक प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी की और से अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गयी जो कि निम्न प्रकार से हैः—

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं कि ग्राम फिंच, तहसील तहसील लूणी, के विवादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 643 रकबा 6.9687 हैक्टेयर, खसरा संख्या 665/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 733/1 रकबा 1.5459 हैक्टेयर, खसरा संख्या 735/1 रकबा 0.8013 हैक्टेयर एवं ग्राम हनुमाननगर के खसरा संख्या 578/1 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 581/1 रकबा 3.1404 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति आगामी पेशी तक कायम रखें ।

उक्त स्थगन आदेश की पालना करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा एक एवं दो के समक्ष कई दफा प्रार्थना पत्र पेश किये गये । अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार द्वारा उक्त आदेश की पालना तो की जानी दूर बल्कि घोर अवमानना करते हुए उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

पर इस वर्ष बारिश होने पर प्रार्थी को अपने हिस्से की कृषि भूमि को जोतने भी नहीं दे रहें हैं एवं मौके पर विशेष भू भाग की किमती खसरान की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा करने लग गये एवं जबरदस्ती प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर भी तवियां जोत दी गयी एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार को ऐसा करने से मना किया गया एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो को भी उनकी हरकतों से अवगत करवाया गया, एवं शिकायत दी गयी लेकिन इस पर अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार एक राय होकर प्रार्थी को धमकी भरें स्वरों में कहा कि हम किसी न्यायालय के स्थगन आदेश को नहीं मानते हैं तथा हम सब लोग एक हैं एवं हम लोग तुम्हें न तो तुम्हें मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा देंगे एवं न ही उक्त जायदाद के अन्दर प्रवेश करने देंगे तथा न ही इस वर्ष खेती करने देंगे, हम लोग अपनी राजनैतिक एप्रोच से विशेष किमती भूमि को भूमाफियां प्रवृति के लोगों को स्थगन आदेश के बावजूद भी बेचान कर देंगे, हमारी जहां शिकायत करनी हो कर देना हमारी राजनेताओं तक पहूंच हैं इसलिये हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हैं । अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार द्वारा मौके पर अत्यधिक संख्या में मजदूरों को लगाकर विशेष भू भाग की किमती भूमि पर कब्जा कर रहें हैं तथा प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि पर से बेदखल कर रहें हैं जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो को भी की गयी लेकिन उनके द्वारा भी अप्रार्थीगण को रोकने के बावजूद भी उनके वहां से चले जाने के पश्चात पुनः प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं । अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की घोर अवमानना की जा रही हैं तथा प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि पर खेती भी नहीं करने दी जा रही हैं एवं प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां भी दी जा रही हैं कि यदि प्रार्थी उक्त खसरान की कृषि भूमियों में प्रवेश करेगा तो उसे चीर दिया जावेंगा तथा हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को इस आशय की शिकायते कई बार दे चुके हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या तीन व चार को किसी प्रकार का कोई भय नहीं हैं तथा वे केवल मात्र प्रार्थी को उक्त खसरान की कृषि भूमियों को लेकर मरने मारने पर ही उतारू हैं जिस बाबत् प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार के मध्य कई बार विवाद हो चुका हैं तथा अशांति का माहौल उक्त खसरान की कृषि भूमियों को लेकर बना हुआ हैं । अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद जो स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए विशेष भू भाग पर कब्जा किये जा रहें हैं एवं प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल किया गया हैं उनके फोटोग्राफस इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किये जा रहें हैं । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई भय नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश को नहीं मान रहें हैं । अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश की घोर अवमानना हैं तथा प्रार्थी के द्वारा की जा रही तमाम कार्यवाही कागजों तक ही सिमटी जा रही हैं क्योंकि स्थगन आदेश के बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या एक से छः नीडर होकर निरन्तर माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहें हैं तथा अशांति का माहौल उत्पन्न कर रखा हैं । ऐसी स्थिति में उक्त विवादग्रस्त खसरान की भूमि को तुरन्त प्रभाव से कुर्क किया जाना आवश्यक हैं तथा अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय के आदेश की बार बार अवमानना करने पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना तथा स्थगन आदेश के पश्चात किये रददोबदल को हटाया जाना न्यायोचित हैं । अंत में निवेदन किया कि:– अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि ग्राम फिंच, तहसील तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 643 रकबा 6.9687 हैक्टेयर, खसरा संख्या 665/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 733/1 रकबा 1.5459 हैक्टेयर, खसरा संख्या 735/1 रकबा 0.8013 हैक्टेयर एवं ग्राम हनुमाननगर, पटवार हल्का फिंच तहसील लूणी के खसरा संख्या 578/1 रकबा 3.3670 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 581/1 रकबा 3.1404 हैक्टेयर कृषि भूमियों को बंटवारा नहीं होने तक कुर्क किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक को रिसीवर नियुक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

किया जावें तथा अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार को माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना किये जाने पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थी संख्या तीन व चार की तरफ से अधिवक्ता श्री लादुरामजी पुनिया ने अपना वकालतनामा पेश किया एवं उनकी तरफ से जवाब भी पेश किया गया । जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि उक्त कृषि भूमियों का वसीयतनामा दिनांक 11.05.2002 को निष्पादित किया जा चुका हैं एवं मौके पर भी उक्त वसीयतनामा अनुसार भूमि का विभाजन करते हुए अलग अलग कब्जा सौप दिया गया हैं ऐसी स्थिति में वसीयत अनुसार मौके पर काबिज हैं एवं काश्त करते हैं एवं अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया । तत्पश्चात थानाअधिकारी पुलिस थाना लूणी से भी इस प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी जो कि थानाअधिकारी लूणी द्वारा दिनांक 22.08.2023 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी जो कि शामिल मिशल की गयी । उक्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया हैं कि अचलाराम, सत्यनारायण, ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश के बीच में वर्तमान में बंटवाड़ा को लेकर विवाद चल रहा हैं दोनो ही पक्षों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 28.11.2022 को गैरसायल पार्टी संख्या एक मूलाराम, मगराज, महेन्द्र पुत्रान अचलाराम तथा पार्टी संख्या दो जितेन्द्र कुमार गौतम पुत्रान सत्यनारायण, जातियान ब्राहम्ण, निवासीगण फिंच को धारा 107/151 द.प्र.सं. में पाबंद करवाया गया इसके बाद पुनः दिनांक 20.07.2023 को रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनो पक्षों को पाबंद करवाने के लिये धारा 107, 116(3) द.प्र.सं. में इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया । वर्तमोन में उक्त खसरों की जमीन में तीनो भाईयों के आपस में 1/3–1/3 हिस्से नहीं करने की बात को लेकर विवाद चल रहा हैं तथा बंटवाड़ो को लेकर लड़ाई झगड़द्या होता रहाता हैं उक्त भाईयों में बंटवाड़ा एवं कब्जा काश्त को लेकर कभी भी खुन खराबा होकर कानून व्यवस्था उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना हैं ।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं थानाअधिकारी पुलिस थाना लूणी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि कब्जा काश्त को लेकर विवाद हो रहा हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार जबरदस्ती तथाकथित फर्जी वसीयतनामें को आधार बनाकर प्रार्थीगण को बेदखल किया जा रहा हैं जबकि तथाकथित वसीयतनामा विरासत के समय पेश ही नहीं किया गया जो कि फर्जी वसीयतनामा हैं जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार को उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियां स्व0 पेमारामजी के देहान्त उपरान्त बहनो द्वारा किये गये रजिस्टर्ड हकतर्कनामें के आधार पर 1/3–1/3 हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं जिस हिस्से अनुसार प्रार्थी को बेदखल किया जा रहा हैं एवं जबरदस्ती फर्जी वसीयतनामें के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार कब्जा करना चाहते हैं एवं बार बार लड़ाई झगड़ा करने पर तुले हुए हैं इसके विपरित अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार की तरफ से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार का वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज हैं एवं अप्रार्थीगण संख्या तीन व चार द्वारा जिस तथाकथित वसीयतनामें का वर्णन किया जा रहा हैं उसके आधार पर विरासत का नामान्तरकरण के समय उक्त वसीयतनामें को पेश ही नहीं किया गया एवं उस तथाकथित वसीयतनामें को प्रभाव में लाये बिना ही अपनी बहनो उक्त तीनो भाईयों ने अपने हक में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा निष्पादित करवाया गया हैं जिससे उक्त तीनो खसरान की कृषि भूमियां स्वतः ही 1/3–1/3 हिस्से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
लूणी

Scanned by CamScanner

पक्षों में विभाजित हुई है जिसके सम्बन्ध में बंटवाड़ा का वाद भी विचाराधीन है मय आदेश भी जारी किया हुआ है लेकिन उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी गण संख्या तीन व चार द्वारा कब्जा कायम को लेकर खून खराबा करने पर नाधिकारी लूणी की रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है ऐसी स्थिति में उक्त विवादग्रस्त भूमियों का विधिवत् बंटवाड़ा होने तक उक्त कृषि भूमियों पर रिसीवर नियुक्त ोचित प्रतीत होता है ।

फिंच, तहसील तहसील लूणी, के विवादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 643 रकबा खसरा संख्या 666/1 रकबा 1.0187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 733/1 रकबा 1. खसरा संख्या 736/1 रकबा 0.0013 हैक्टेयर एवं ग्राम हनुमाननगर के खसरा रकबा 3.3670 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 681/1 रकबा 3.1404 हैक्टेयर कृषि की जाकर थानाअधिकारी लूणी को रिसीवर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों को अपने कब्जे में ली जावे एवं साथ ही गण संख्या तीन व चार को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमियों का विधिवत् बंटवाड़ा होने के पश्चात पुनः बंटवाड़ा अनुसार अपने अपने भूमियों को वापिस अपने कब्जे में लेने हेतु आवेदन इसी न्यायालय में पेश करें । की दौराने कुर्कशुदा कृषि भूमियों पर बुवाई के समय निलामी के जरिये कायम न्त्र रहेंगे एवं निलामी में होने वाली आय को न्यायालय हाजा में पेश की जावेगी होने के पश्चात रेकर्डेड खातेदारों को सुपुर्द कर दी जावेगी । आदेश की पालना लूणी को पाबंद किया जाता है कि वे मौके पर जाकर थानाअधिकारी लूणी को भूमियों का कब्जा सुपुर्द करावें । आदेश की पालनार्थ तहसीलदार लूणी एवं मी को तहरीर जारी हो । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर ।

पुखराज कंसोटिया (आर.ए.एस.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अधिकारी

Scanned by CamScanner